(2)

संख्याः 55 /XXVI/एक (2)/2011

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक: 13 अप्रैल, 2011

विषयः– वित्तीय वर्ष 2011–12 में राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध मदों में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 एवं आपके पत्र सं0–439/तीन–1(6)/रा0यो0आ0/2011, दिनांक 05 अप्रैल 2011 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य योजना आयोग के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में आयोजनेत्तर पक्ष की विभिन्न वचनबद्ध मदों में व्यय हेतु संलग्नक में अंकित विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 17656 हजार (रू0 एक करोड़ छिहत्तर लाख छप्पन हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2011–12 की नई मदों के कियान्वयन के लिए नहीं किया जाएगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा। मितव्ययता के सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाए तथा तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जाए जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा उस प्रकरण में व्यय के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

4– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 20 तारीख तक बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

5– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फ्रेजिंग (त्रैमासि के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–7 के अधीन लेखाशीर्षक "3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें–092–अन्य कार्यालय–03 नियोजन अधिष्ठान" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 65 (1)/XXVI/एक (2)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त विभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या: 55 /XXVI/एक (2)/2011, दिनांक 13 अप्रैल का संलग्नक।

अनुदान सं0–7 लेखाशीर्षक	आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रू0 में)
3451–सचिवालय आर्थिक सेवायें 092–अन्य कार्यालय 03–नियोजन अधिष्ठान	
01–वेतन	8600
02–मजदूरी	30
03–मंहगाई भत्ता	5160
06–अन्य भत्ते	946
08–कार्यालय व्यय	600
09–विद्युत देय	100
10–जलकर/जल प्रभार	20
13–टेलीफोन पर व्यय	200
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1000
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	700
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	200
51–महंगाई वेतन	100
योग (रू0 एक करोड़ छिहत्तर लाख छप्पन हजार मात्र)	17656

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।